सेवामे,	
श्रीमान सरपंच महोदय	
ग्राम पंचायत	
पचांयत समिति	
विषयः- ग्राम पंचायत द्वारा जारी पटटे का रा.पं.रा. निय अन्तगर्त पटटा विलेख का पुनर्विधिमान्यकरण करने बाबत	` '
महोदय,	
उपरोक्त विषय मे निवेदन है कि ग्राम पंचायत द्वा विक्रय विलेख सख्या दिनांक को उ विक्रय विलेख का निर्धारित अविध मे उप पंजियन कार्याल अतः आपसे निवेदन है कि मेरे विक्रय विलेख का रा. पं.रा के अन्तगर्त पटटा विलेख का पुनर्विधिमान्यकरण करने का विक्रय विलेख का पंजियन करा सकुं। संलग्नः-	जारी किया गया था। किन्तु मैं उ त्त तय से पंजियन नही करा पाया। . नियम 1996 के नियम 167(क)
1. मूल विक्रय विलेख (पटटा)	
ा. नूला पक्रय प्यलेख (पटटा) 2. मूल विक्रय विलेख (पटटा) फोटो प्रति	
3. पटटा जारी की रसीद	
4. आधार कार्ड	
5. मतदाता पहचान पत्र	हस्ताक्षर प्रार्थी
	नाम
	पिता का नाम
	जाति
	निवासी